Regarding need to enact law for regulation of vehicle speed limits- Laid

श्री दामोदर अग्रवाल (भीलवाड़ा) : हमारे देश में ओवरस्पीडिंग के कारण सड़क दुर्घटनाओं में बड़ी संख्या में लोगों की जान जाती है । सरकारी आंकड़ों के अनुसार, वर्ष 2024 में कुल सड़क दुर्घटनाओं में 58.6% दुर्घटनाएं तेज रफ्तार के कारण हुई हैं, जिनमें 1,01,841 लोगों की जान गई । सरकार द्वारा ओवरस्पीडिंग को लेकर नियम बनाए गए हैं जिनमे वाहनों की अधिकतम स्पीड 120 किलोमीटर प्रति घंटा तय की गई है लेकिन वाहन निर्माता कंपनियां वाहनों में अधिकतम स्पीड 200 किलोमीटर प्रति घंटा तक रखती है जबकि हमारे देश में इतनी तेज गति से वाहन चलाने के लिए न तो जगह है और न ही सड़कें है और जब सरकार ने वाहनों की अधिकतम स्पीड सीमा निर्धारित की हुई है तो वाहनों को 200 की स्पीड तक दौड़ाने की आवश्यकता क्या है । अतः मेरा केन्द्र सरकार से यह निवेदन है कि वाहनों में लगे गतिमीटर की सीमा 120 किलोमीटर प्रतिघंटा से ज्यादा न करने सम्बन्धी कानून बनाने की कृपा करें ।